कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2060 /11–सी–FP/UP/Trans/33687/2018, लखनऊः दिनांकः मई 07 ,2019

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ0प्र0 शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा जनपद–इलाहाबाद के अंतर्गत 132 के0वी0 उपकेन्द्र मिण्टोपार्क एवं 132 के0वी0 उपकेन्द्र तेलीयारगंज के मध्य 132 के0वी0 अण्डर ग्राउण्ड केबिल लाईन बिछाने के कार्य हेतु बिना वृक्ष पातन के प्रभावित 0.298 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्रांक–143/14–2–2018–800(127)/2018, दिनाँक–03.08.2018

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित प्रकरण में विभिन्न शर्तों के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 वृत्त, प्रयागराज ने अपने पत्रांक–3406/15–1, दिनांक 01.05.2019 द्वारा इस कार्यालय को निर्धारित प्रारूप में भू–स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रेषित किया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक एड–हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से जमा की गयी है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं भू–स्वामित्व विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयॉकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 2060 /11–सी– FP/UP/Trans/33687/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 वृत्त, प्रयागराज।
2. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, प्रयागराज।
3. अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड–द्वितीय, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, इलाहाबाद।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1273

Email
07-05-19

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

पत्रांक :- 3406 /15-1, दिनांक, प्रयागराज, ~~अप्रैल~~, मई 01 2019।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः- जनपद इलाहाबाद में तेलियरगंज से मिण्टोपार्क के मध्य 132 के0वी0 अन्डर ग्राउन्ड विद्युत लाईन बिछाने हेतु लाईन कारीडोर में आने वाली 0.298 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः- उ0प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 की पत्र संख्या-पी-143/14-2-2018-800(127)/2018 दिनांक 03.08.2018 एवं आपका पत्रांक 302/11-सी-FP/UP/Trans /33687/2018 दिनांक 07.08.2018।

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 की पत्र संख्या-पी-143/14-2-2018-800(127)/2018 दिनांक 03-08-2018 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुयी है। सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज ने अपने पत्रांक 3204/5-8, दिनांक 16-04-2019 द्वारा इस कार्यालय को निम्नप्रकार उपलब्ध कराया गया जो आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

बिन्दु सं0	सैद्धांतिक स्वीकृति में निहित शर्तों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अर्न्तगत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) ,क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण में प्रभावित 0.298 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य रू0 186548.00 ऑन लाइन जमा कर दिया गया है। रसीद संलग्न है। (UTR NO. SBINR520180831) (संलग्नक-1)
2	प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण में प्रभावित 0.298 हे0 संरक्षित वन भूमि के दुगुने 0.596 हे0 में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक अनुरक्षण हेतु रू0 592274.00 ऑन लाइन जमा कर दिया गया है। रसीद संलग्न है। (संलग्नक-1)
3	प्रस्तावक के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर 100 पौधों का आयरन गार्ड में वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रख रखाव हेतु रू0 766200.00 आन लाइन जमा जमा कर दिया गया है। (संलग्नक-1)
4	उपरोक्त आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय के ई- पोर्टल पर पर ई--चालान के माध्यम से कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नयी दिल्ली में जमा कराया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्तो के अनुसार वांछित धनराशि ऑन लाइन (UTRNO.SBINR520180831) से जमा कर दिया गया है। (संलग्नक-1)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं	शर्तो के अनुपालन आख्या में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है

	वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।	कि परियोजना में मक उत्पादन नहीं होगा। अतः आवश्यकता नहीं है।
6	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	अनुपालन किया जायेगा।
7	नोडल अधिकारी उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह की जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेगें।	इस कार्यालय से अपेक्षित नहीं है।
8	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फौना (वन्य जीव) के हानि के जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा फौना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिम्मेदारी पूर्वक फ्लोरा फौना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय किया जायेगा।
9	प्रत्यावर्तित भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक–2)
10	प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नही पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11	उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहें। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहें, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12	भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0(पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या–J-11013/41/2006-IA-II(I) दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होनें, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षन स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।	आवश्यक नहीं है।
13	उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हो, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।	अण्डरटेकिंग संलग्न है। (संलग्नक–3)
16	यदि प्रश्नगत भूमि भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की	आवश्यक नहीं है।

	कार्यवाही कर ली गयी है।	
17	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 13.02.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफ.सी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।	प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
21	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वन अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
22	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नयी दिल्ली के आदेश सं0-7-25/2012-एफ.सी, दिनांक 05 मई 2014 में उल्लिखित दिशा निर्देश का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का/प्रतिबन्धों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय तदोपरान्त सुसंगत प्रमाण पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार। (03 प्रति में)

भवदीय,

(डा0 राजीव मिश्रा)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वृत्त, इलाहाबाद।

संख्या :- 3406 / समदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 राजीव मिश्रा)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

Prpatra-1

Serial No-	Details	Compliance
1	2	3
1	CA amount as per proposal	Rs. 592274.00
2	CA amount deposited	Rs. 592274.00
3	Difference in amount	0
4	Reason for difference	0
5	NPV amount as per perposal	Rs. 186548.00
6	NPV amount deposited	Rs. 186548.00
7	Difference in amount	0
8	Reason for difference	0
9	Any other amount deposited-(Plantation in iron guard and 10 years maintenance in open space of proposed site)	Rs. 766200.00
10	CAMPA confirmation	Payment has been made through E-Payment by UTR NO.SBINR520180831 in CAMPA fund, CAMPA confirmation receipt enclosed here with as

(Y.P. Shukla)
Divisional Director,
Social Forestry Division,
Prayagraj.

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/ Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/TRANS/33687/2018 (../viewreport.aspx? pid=FP/UP/TRANS/33687/2018) Protected Forest Land Proposed to Diverted FOR Laying 132 KV Underground Power distribution Cable in between 132KV S/S Teliarganj and 132KV S/S Minto Park in Allahabad City	TRANS336872018596	6433687596	03 Aug 2018	CA: 592274/-, Addl CA: 766200/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 186548/-, Other Cherges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1545022/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 28 Aug 2018 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 30 Aug 2018 Transaction Date: 31 Aug 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/811271231219LJMQNDemandLett Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx? pid=TRANS336872018596)

SWACHH BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) Power To Empower (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN) Open Government Data (OGD) Platform India
(HTTPS://DATA.GOV.IN/) india.gov.in (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) myGOV (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) MeitY
(HTTP://MEITY.GOV.IN/) (HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) NIC (HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (https://parivesh.nic.in/TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (https://parivesh.nic.in/Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (https://parivesh.nic.in/CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (https://parivesh.nic.in/HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (https://parivesh.nic.in/Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (https://parivesh.nic.in/Disclaimer.aspx) | Contact Us (https://parivesh.nic.in/contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

132 KV S/S Teliarganj,
Near IERT College Rajeev Nagar, ALLAHABAD
Phone No. 0532-2544059
Email:eeetd2albd@upptcl.org

UPPTCL

132 के0वी0 उपकेन्द्र तेलियरगंज
निकट आई.ई.आर.टी. कॉलेज,
राजीव नगर, इलाहाबाद

पत्रांक 1860 वि0प्रे0ख0द्वि0इ0 / स्टेनो12 दिनांक 1/9/18

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
इलाहाबाद

1500
05-9-18

विषय– जनपद इलाहाबाद मे तेलियरगंज–मिण्टोपार्क के मध्य 132 के0वी0 अंडर ग्राउण्ड विद्युत लाइन बिछाने हेतु लाइन के कोरिडोर मे आने वाली 0.298 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध मे।

संदर्भ–1. उ0प्र0 सरकार वन एवं वन जीव अनुभाग–2 की पत्र सं0 पी–143 / 14–2–2018–800(27) / 2018 दिनांक 03.08.2018 प्रस्ताव सं0 एफ0पी0 / यू0पी0 / ट्रांस / 33687 / 2018।
2. आपका कार्यालय पत्रांक 561 / 15–1 दिनांक 10.08.2018

महोदय,

प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0 / यू0पी0 / ट्रांस / 33687 / 2018 जनपद इलाहाबाद मे तेलियरगंज से मिण्टोपार्क के मध्य 132 के0वी0 अण्डर ग्राउण्ड विद्युत लाइन बिछाने हेतु लाइन के कोरिडोर मे आने वाली 0.298 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध मे सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु अधोनुसार प्रस्तुत है।

क्र. सं.	शर्त	अनुपालन
1.	उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति मे उल्लिखित शर्तो के अनुपालन मे शर्त सं0 1 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.298 हे0 का रू0 6.26 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से (8.26x0.298 = 186548.00) धनराशि रू0 186548.00 की धनराशि कैम्प निधि नई दिल्ली मे ई–पेमेण्ट से आनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की जायेगी।	शर्त के अनुसार धनराशि UTR No. SBINR520180831 के द्वारा जमा कर दी गयी है।
2.	शर्त संख्या–2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इलाहाबाद वन प्रभाग मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि के दो गुने अवनत (0.298x2=0.596) अर्थात 0.596 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के रख रखाव हेतु पूर्व मे आवश्यक धनराशि रू0 592274.00 कैम्पा निधि मे ई–पेमेण्ट से आंनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की जायेगी।	शर्त के अनुसार धनराशि UTR No. SBINR520180831 के द्वारा जमा कर दी गयी है।
3.	शर्त संख्या–3 के अनुसार प्रस्तावक के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर 100 पौधों का वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 7662.00 प्रति पौध की दर से धनराशि रू0 766200.00 होगी जिसे कैम्पा निधि में ई–पेमेण्ट से आनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की जायेगी।	शर्त के अनुसार धनराशि UTR No. SBINR520180831 के द्वारा जमा कर दी गयी है।

	क. तदथ निकाय के इ पोटल पर पर इ चालान के माध्यम से कारप्रोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) नयी दिल्ली मे जमा कराये जायेगा।	गया है।
5.	शर्त संख्या–5 के अनुसार मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।	प्रस्तावित परियोजना मे मक डिस्पोजल का उत्पादन नही होगा अतः इसकी आवश्यकता नही है।
6.	वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।
7.	नोडल अधिकारी उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह की जारी अनुमति की रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेगें।	हमारे स्तर से अपेक्षित नही है।
8	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा (वनस्पति)/फौना (वन्य जीव) के हानि के जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्तावक विभाग फलोरा फौना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।	प्रस्तावित परियोजना स्थल के आस पास यदि ऐसी कोई घटना होती है तो हम उसके लिए जिम्मेदार होगे तथा फलोरा/फौना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेगे।
9.	प्रत्यावर्तित भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग मे कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	प्रस्तावित परियोजना के अलावा प्रत्यावर्तित भूमि का उपयोग अन्य किसी कार्य के लिए नही करेगे। यदि आवश्यकता होगी तो भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
10.	प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नही पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।	वन सम्पदा को कोई क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी यदि वन सम्पदा को कोई क्षति होती है तो उसका निर्धारित प्रतिकर दिया जायेगा।
11.	उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग मे प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहें। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भगा जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहें, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।	उक्त शर्त मान्य है
12.	भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या J-11013/41/2006-1A-II(I) दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।	इसकी आवश्यकता नही है।
13.	उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश/शर्तो जो वनों के संरक्षण सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हो, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	मान्य होगा।

14.	[illegible] वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय अनुश्रवण के अधीन होगी।	[illegible]
15.	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोग्ता अभिकरण को जमा करना होगा।	यदि एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण जमा करेगा। अण्डरटेकिंग संलग्न है।
16.	यदि प्रश्नगत परियोजना राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार/प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अवस्थित है। यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क मे सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	इसकी आवश्यकता नही है
17.	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	शर्त मान्य है
18.	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किया जायेगा।
19.	इस सम्बन्ध मे प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 13.02.2014 मे उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।	प्रस्तावक विभाग भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 13.02.2014 मे उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करेगा।
20.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा निर्देशो के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा फाइल में दर्शाया गया हो।	पूर्व मे भू सन्दर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र परियोजना मे संलग्न है।
21.	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जन जाति/प्रारम्भिक समुदाय के हित प्रभावित नही होते है।	पूर्व मे वन अधिकारी अधिनियम के 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र परियोजना मे संलग्न है।
22.	भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश सं0 7-25/2012-एफ0सी0 दिनांक 05 मई 2014 मे उल्लिखित दिशा निर्देश का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः उपरोक्त शर्ते मान्य है एवं अनुपालन आख्या आपके सेवा मे प्रेषित है। अतः विधिवत स्वीकृति जारी कराने की कृपा करे।

(शैलेन्द्र चतुर्वेदी)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक..................वि0प्रे0ख0द्वि0इ0/ दिनांक........................

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेषण मण्डल-द्वितीय, 57 जार्ज टाउन, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

(शैलेन्द्र चतुर्वेदी)
अधिशासी अभियन्ता

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
ELECTRICITY TRANSMISSION DIVISION-II,
132 KV S/S GIS Old Power House,
Opp. Anglo Bangali Inter College
Kamla Nehru Road, Prayagraj-211001
Email:eeetd2albd@upptcl.org

UPPTCL

कार्यालयः अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड–द्वितीय
132 के0वी0 उपकेन्द्र जी.आई.एस.
ओल्ड पावर हाउस, एंग्लो बंगाली
इण्टर कालेज के सामने, प्रयागराज

पत्रांक...516.....वि0प्रे0ख0द्वि0प्र0 /

दिनांक...29/3/19

विषय–जनपद इलाहाबाद मे तेलियरगंज से मिण्टोपार्क के मध्य 132 के0वी0 अण्डर ग्राउण्ड विद्युत लाईन बिछाने हेतु लाईन कारीडोर मे आने वाली 0.298 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध मे।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
प्रयागराज

कृपया अपने कार्यालय के पत्र सं0 2771/5–8 दिनांक 07.03.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उपरोक्त के सम्बन्ध मे आप के द्वारा मांगी गयी कैम्पा मे जमा धनराशि का ई–पेमेन्ट स्लिप (ई–रसीद) एवं भूस्वामित्व विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(शैलेन्द्र चतुर्वेदी)
अधिशासी अभियन्ता

संलग्नक
1. ई–पेमेन्ट की रसीद
2. अनापत्ति उत्तर रेलवे प्रयाग फाफामऊ
3. अनापत्ति उत्तर रेलवे प्रयाग इलाहाबाद
4. अनापत्ति पूर्वोत्तर रेलवे दारागंज से इलाहाबाद के मध्य
5. अनापत्ति राष्ट्रीय राज मार्ग

पत्रांक..................वि0प्रे0ख0द्वि0प्र0 /

दिनांक.........................

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेषण मण्डल–द्वितीय, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8705
30/3/2019

नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें
प्रभागीय निदेशक
30-3-2019

(शैलेन्द्र चतुर्वेदी)
अधिशासी अभियन्ता

Office of theSr.DEE/G/NR,
DRM Office, Northern Railway,
Hazratganj, Lucknow-226001
sr.deenrlko@gmail.com
Dated: 03/10/2018

No. 62/Elect/Track Crossing/2018/42

SrDEN/ IV/LKO
Northern Railway
Lucknow

Sub - Execution of Work for 132 kV Underground Electrical Track Crossing at KM/TP: 149/11&11A - 10&10A between Prayag (PRG) and Phaphamau (PFM) Railway stations

Reference: 1. Agreement No. W/132 kV UG/PRG–PFM/PRG/2018-42 Dated: 03/10/2018
2. Online Application ID No: NR-LKO-2018-42

In reference to subject mentioned above, Executive Engineer, Electricity Transmission Division-II ,Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, 132 kV Substation Teliarganj, Near IERT College, Rajeev Nagar, Allahabad has deposited the requisite charges including Way leave Charges amounting to **Rs 1910216 /-** for subjected work and subsequently an agreement has been carried out on date 03/10/2018.

The work may be executed under supervision of Railways as per approved plan. All safety related instructions are to be followed during execution of work as per extant rules and completion of work may be intimated to this office.

In view of above, may please make the arrangement for execution of work at the earliest.

(B.R. Sharma)
DEE/G/LKO
For Sr. Divisional Electrical Engineer/G
Northern Railway, Lucknow

DA: Signed Copy of reference-1 agreement
with approved plan No : ELECT/LKO/2018/42

Copy to:

1. Executive Engineer,ETD,UPPTCL,132 kV Substation Teliarganj, Near IERT College, Rajeev Nagar, Allahabad - for information and necessary action please.
2. ADEN/PRG - for information and necessary action please.
3. DEN/Land - for information and necessary action please.
4. SrDEE/TRD/LKO - for information and necessary action please.
5. SrDOM/LKO - for information and necessary action please.
6. SrDSTE/C/LKO - for information and necessary action please.
7. SSE/Tele/PRG - for information and necessary action please.
8. SSE/Elect/PRG - for information and necessary action please.

No. 62/Elect/Track Crossing/2018/41

Office of theSr.DEE/G/NR,
DRM Office, Northern Railway,
Hazratganj, Lucknow-226001
sr.deenrlko@gmail.com
Dated: 06/08/2018

SrDEN/IV/LKO
Northern Railway
Lucknow

Sub - **Execution of Work for 132 kV Underground Electrical Track Crossing at kM/TP: 153/4 – 153/5 between Prayag (PRG) and Allahabad (ALD) Railway Stations**
Reference: Agreement No. W/132 kV UG/PRG–ALD/PRG/2018-41 Dated: 06/08/2018

In reference to subject mentioned above, Executive Engineer, Electricity Transmission Division-II ,Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, 132 kV Substation Teliarganj, Near IERT College, Rajeev Nagar, Allahabad has deposited the requisite charges including Wayleave Charges amounting to **Rs 1672277 /-** for subjected work and subsequently an agreement has been carried out on date 06 /08/2018.

The work may be executed under supervision of Railways as per approved plan. All safety related instructions are to be followed during execution of work as per extant rules and completion of work may be intimated to this office.

In view of above, may please make the arrangement for execution of work at the earliest.

(B.R. Sharma) 10-8-18
DEE/G/LKO
For Sr. Divisional Electrical Engineer/G
Northern Railway, Lucknow

DA: Signed Copy of reference agreement
with approved plan no ELECT/LKO/2018/41

Copy to:

1. Executive Engineer,ETD,UPPTCL,132 kV Substation Teliarganj, Near IERT College, Rajeev Nagar, Allahabad - for information and necessary action please.
2. ADEN/PRG - for information and necessary action please.
3. SrDEE/TRD/LKO - for information and necessary action please.
4. SrDOM/LKO - for information and necessary action please.
5. SrDSTE/C/LKO - for information and necessary action please.
6. DEN/Land - for information and necessary action please.
7. SSE/Elect/PRG - for information and necessary action please.

Cable laying
file

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
मण्डल रेल प्रबन्धक(विद्युत)
वाराणसी
दिनांक:-05/10/18

सं0- वि/30/वारा0/ट्रैक क्रासिंग/420/1862

अधिशासी अभियंता,
विद्युत प्रेषण खण्ड-द्वितीय,
132 के0वी0 उपकेन्द्र तेलियरगंज,
निकट आई.ई.आर.टी. कॉलेज,
राजीव नगर, इलाहाबाद-211004

विषय - दारागंज - इलाहाबाद सिटी स्टेशनो के बीच टी0पी0 सं0 326/0-1 के मध्य 132 के वी, SC(4 अदद के केबल) लाइन का भूमिगत ट्रैक क्रासिंग के सम्बन्ध में।

संदर्भ - आप का पत्र स0- 1832/वि0/प्रे0/ख0द्वि0इ/ दिनांक : 28/08/18

आपके सन्दर्भित पत्र के साथ प्राप्त उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित विद्युत क्रासिंग के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित ट्रैक क्रासिंग की विद्युत लाईन पार करने से सम्बन्धित नियम एवं अनुबन्ध के क्लाज-।। मे उल्लेखित नियम एवं अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार उपरोक्त क्रासिंग कार्य को करनें हेतु निम्न शर्तों के साथ अनुमति दी जाती हैं -

1. आपको यह सूचित किया जाता है कि कार्य शुरु करने के कम से कम सात दिन पहले सम्बन्धित सी0से0इंजी0/पी0वे0/वाराणसी एवं सहायक मण्डल इंजी/ वाराणसी को सूचना देनी होगी, जिससे ट्रैक ब्लाक से सम्बन्धित उनके द्वारा सुरक्षा एवं सावधानियां बरती जा सके । पुन: यह निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त कार्य तब तक न शुरु किया जाय जब तक सम्बन्धित सी0से0इंजी0/पी0वे0/वाराणसी के द्वारा सहमति न मिल जायं । साथ ही सुरक्षा एवं सावधानी के लिए सुनिश्चित हो जायें ।
2. ट्राफिक ब्लाक प्राप्त करना आवश्यक होगा जिसके लिए वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबन्धक/वाराणसी कार्यालय मे प्रस्तावित तिथि एवं ब्लाक अवधि प्राप्त की जा सकती है ।
3. सी0से0इंजी0/सिगनल/ इलाहाबाद सिटी एवं सी0से0इंजी0/टेली/इलाहाबाद सिटी को भी आपके द्वारा पन्द्रह दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए कि उस क्षेत्र मे उपलब्ध टेलीग्राफ लाईन के उपर गार्डिंग अथवा टेलीग्राफ केबुल क्षतिग्रस्त न होने की व्यवस्था एवं संरक्षा की दृष्टि से सन्तोषजनक है, उनके द्वारा सुनिश्चित हो लिया जाय ।
4. क्रासिंग से सम्बन्धित निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद इस कार्यालय को सूचित करें ताकि रेलवे के सक्षम प्रतिनिधि के द्वारा पूर्ण किये गये कार्य का अन्तिम निरीक्षण कर, अन्तिम निरीक्षण सर्टिफिकेट जारी कर सके, ततपश्चात आपके द्वारा लाइन इनर्जाइज किया जायेगा ।

संलग्नक- एक ड्राइंग की प्रति ।

05/10/18

(मण्डल विद्युत इंजीनियर/सामान्य)
कृते वरिष्ठ मण्डल विद्युत इंजी0/सामान्य
वाराणसी

प्रतिलिपि :- 1. मुख्य विद्युत इंजीनियर/गोरखपुर को सादर सूचनार्थ ।
एवं निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. वमंपरिप्र/वारा
3. वमंविप्र/वारा
4. वरिष्ठ मण्डल सिंगनल एवं दूरसंचार इंजी/वाराणसी
5. वरिष्ठ मण्डल विद्युत इंजी0/टीआरडी/वाराणसी
6. वमंइं/III/वाराणसी
7. सहायक मण्डल इंजी/ वाराणसी
8. सी0से0इंजी0/पी0वे0/ वाराणसी
9. सी0से0इंजी0/विद्युत/पावर/ इलाहाबाद सिटी
10. सी0से0इंजी0/सिगनल/ इलाहाबाद सिटी
11. सी0से0इंजी0/टेली/ इलाहाबाद सिटी
12. सी0से0इंजी0/कार्य /वाराणसी

(मण्डल विद्युत इंजीनियर/सामान्य)
कृते वरिष्ठ मण्डल विद्युत इंजी0/सामान्य
वाराणसी

Scanned by CamScanner

(Chief Engineer - Regional Office, Lucknow)
N.H. Bhawan, Biotech Chowk, Lucknow Ring Road, Vikas Nagar, Lucknow - 226 022
Ph.: (0522) - 2967112, 2738226 (Tele-Fax)

To,

Dated: 31.10.2018

The Chief Engineer (NH),
Public Works Department,
Government of Uttar Pradesh,
Nirman Bhavan, 96, M. G. Marg,
Lucknow - 226 001

Sub.: Proposal of NOC for laying of 132 KV underground cable at Km 151.050 to Km 153.760 on NH-96(330) in District Allahabad in the State of Uttar Pradesh - Reg.

Sir,

This is in continuation to this office letter dated 26.09.2018, with respect to the subject for laying of underground 132 KV Electric Cable at Km 151.050 to Km 153.760 on NH-96(330) in District Allahabad in the State of Uttar Pradesh.

2. The above proposal has been examined in this office in light of Ministry's guidelines issued vide letter no. RW/NH-33044/29/2015/S&R(R) dated 22.11.2016. Based on the drawings and associated documents as recommended by the Chief Engineer (NH), UP PWD, Lucknow and after duly inviting public comment as per extant guidelines the proposal has been approved by the Competent Authority in the Regional Office, Ministry of Road Transport and Highways, Lucknow.

3. The NOC is being issued to the proposal, subject to the following conditions:

(i) The installation of underground cable shall conform to Ministry's guidelines issued vide letter No.RW/NH-33044/29/2015/S&R(R) dated 22.11.2016.

(ii) It shall be the responsibility of Electricity Transmission Div - II, Allahabad to ensure the safety and maneuverability of highway traffic during the execution of the work.

(iii) The approval is based on the submissions made by the Applicant as verified by the State PWD. The Applicant is responsible for the details provided in the application. The Ministry is at liberty to verify the authenticity of the documents at any time. Any misrepresentations, omission or suppression of facts or disclosure of incomplete facts detected at any stage shall lead to withdrawal of this approval with cost to the applicant.

(iv) In view of any future development requiring necessary alteration, including complete removal or shifting of the transmission line, the same shall be carried out by the Electricity Transmission Div - II, Allahabad at its own cost to the satisfaction of the Highway Administration.

(v) In case of violation of the norms of Ministry's guidelines, the NOC automatically stands withdrawn.

132 KV cable laying work

Contd./-

चार सेट

4. In view of the above, it is requested to take necessary action at your end.

Yours faithfully,

(Ankit Verma)
Assistant Executive Engineer
For Chief Engineer - Regional Officer

Copy to:

(i) The Executive Engineer, NH Division, U.P., P.W.D., Allahabad.

(ii) The Executive Engineer, Electricity Transmission Division - II, 132KV S/S Teliarganj, Near IERT College, Rajeev Nagar, Allahabad.

(Ankit Verma)
Assistant Executive Engineer
for Chief Engineer - Regional Officer

संलग्नक-2

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के उल्लंघन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अर्द्धकुम्भ मेला–2019 हेतु जनपद इलाहाबाद में 132 के0वी0 अण्डर ग्राउण्ड विद्युत लाइन केबिल बिछाने हेतु 132के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तेलियर गंज से 132के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मिण्टो पार्क तक प्रस्तावित इलाहाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रफल 0.298 हे0 संरक्षित वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधनों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड द्वितीय,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
इलाहाबाद।

अधिशासी अभियंता
विद्युत-प्रेषण खण्ड द्वितीय
उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०
इलाहाबाद

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
इलाहाबाद

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
प्रयागराज

क्षेत्रीय वन अधिकारी
प्रयाग रेन्ज, इलाहाबाद

~~श्रमवनोनगर~~
संलग्नक:-3 37

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड** द्वारा इलाहाबाद के अन्तर्गत 132 के0वी0 उपकेन्द्र मिण्टो पार्क एवं 132 के0वी0 उपकेन्द्र तेलियरगंज के मध्य 132 के0वी0 अण्डर ग्राउण्ड केबिल लाईन **जिला**– इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित अण्डर ग्राउण्ड केबिल लाईन कार्य से प्रभावित 0.298 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु मॉग की गयी एन0पी0वी0 की धनराशि की दर मे भविष्य मे भारत सरकार द्वारा/सक्षम स्तर से बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई धनराशि का भुगतान उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।

Executive Engineer
E.T.D.-II, U.P.P.T.C. Ltd.
Allahabad

शैलेन्द्र चतुर्वेदी
अधिशाषी अभियन्ता
विधुत प्रेषण खण्ड–द्वितीय
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
इलाहाबाद

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
प्रयागराज

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
इलाहाबाद

क्षेत्रीय वन अधिकारी
प्रयाग रेन्ज, इलाहाबाद

संलग्नक - 2

प्राक्कलन (अग्रिम मृदा कार्य)

132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तेलियर गंज से 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मिण्टो पार्क तक 132 के0वी अण्डर ग्राउण्ड बिछाने हेतु प्रभावित 0.298 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोगार्थ कचारी वन ब्लाक में दो गुने अर्थात 0.596 हे0 अवनत भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षरोपण का प्राक्लन

1	2	3		5	6	7
1	1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्रति हे0	0.596	40.00	23.84
2	3	रोपण क्षेत्र की सफाई	प्रति हे0	0.596	280.00	166.88
3	8 अ	गड्ढों का पंक्ति बंधन	प्रति गड्ढा	119	0.20	23.80
4	10–1–अ–2	गड्ढा खुदान पठारी भूमि (45 X 45 X 45) सेमी0	प्रति गड्ढा	119	8.00	952.00
5	6–अ	वोना नाली का चिन्हांकन	प्रति नाली	179	0.85	152.15
6	6–ब	पठारी भूमि में वोना नाली का खुदान (3.00 X 0.60 X 0.45) मी0	प्रति नाली	179	58.00	10382.00
7	4–अ	पत्थर की दीवाल का निर्माण (1.20 X 1.00 X 0.75) मी0 जहाँ पत्थर एक किमी0 की परिधि में हों	प्रति मी0	59.6	138.00	8224.80
8	4–स	पत्थर की दीवाल पर 10 सेमी0 मिट्टी चढ़ाई	प्रति मी0	59.6	4.00	238.40
9	25	औजार एवं संयंत्र/ अन्य व्यय				1019.00
		योगः–				21182.87
		या				21183.00

अधिशासी अभियंता
विद्युत-प्रेषण खण्ड द्वितीय
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0
इलाहाबाद

क्षेत्रीय वन अधिकारी
प्रयाग रेन्ज, इलाहाबाद

(वाई0पी0 शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
इलाहाबाद।

सारांश

132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तेलियर गंज से 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मिण्टो पार्क तक 132 के0वी अण्डर ग्राउण्ड बिछाने हेतु प्रभावित 0.298 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोगार्थ कचारी वन ब्लाक में दो गुने अर्थात 0.596 हे0 अवनत भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षरोपण का प्राक्लन

क0 सं0	वर्ष	कार्य का विवरण	धनराशि (रू0 में)
1	2	3	7
1	प्रथम वर्ष	अग्रिम मृदा कार्य	21183.00
2	द्वितीय वर्ष	वृक्षारोपण कार्य	31598.00
3	तृतीय वर्ष	वृक्षारोपण अनुरक्षण प्रथम वर्ष	33129.00
4	चतुर्थ वर्ष	वृक्षारोपण अनुरक्षण द्वितीय वर्ष	37289.00
5	पंचम वर्ष	वृक्षारोपण अनुरक्षण तृतीय वर्ष	41018.00
6	षष्टम वर्ष	वृक्षारोपण अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष	45119.00
7	सप्तम वर्ष	वृक्षारोपण अनुरक्षण पंचम वर्ष	49631.00
8	अष्टम वर्ष	वृक्षारोपण अनुरक्षण षष्टम वर्ष	54595.00
9	नवम वर्ष	वृक्षारोपण अनुरक्षण सप्तम वर्ष	60054.00
10	दशम वर्ष	वृक्षारोपण अनुरक्षण अष्टम वर्ष	66060.00
11	एकादश वर्ष	वृक्षारोपण अनुरक्षण नवम वर्ष	72666.00
12	द्वादश वर्ष	वृक्षारोपण अनुरक्षण दशम वर्ष	79932.00
योगः–			592274.00

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत-प्रेषण खण्ड
उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०
इलाहाबाद

क्षेत्रीय वन अधिकारी
प्रयाग रेन्ज, इलाहाबाद

(वाई0पी0 शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
इलाहाबाद।